अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल,सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 03/2013

डोमनी देवी —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट

—::आदेश::—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के आदेश 31.05.2013 ई० अन्दर वाद संख्या 162/13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

संक्षेप में मामला यह है कि श्रीमती रेखा कुमारी आर्या, महिला पर्यवेक्षिका पिपरा द्वारा दिनांक 27.11.12 को 11.30 बजे पिपरा परियोजना के केन्द्र संख्या संख्या –12 बटबृक्ष टोला पर केन्द्र पर सहायिका अनुपस्थित पायी गयी। सहायिका के अनुपस्थिति के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 1830/ प्रो0 दिनांक 31.12.12 द्वारा सहायिका डोमनी देवी से स्पष्टीकरण की मांग की गई । उक्त आलोक में सहायिका डोमनी देवी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में केन्द्र से अनुपस्थिति के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि वे समय से केन्द्र पर गई थी लेकिन बीमार रहने के कारण घर चली गई। मामले की सुनवाई के उपरान्त सहायिका को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय आदेश ज्ञपांक 719/प्रो0 दिनांक 31.05.13 द्वारा डोमनी देवी सहायिका केन्द्र कोड–12 परियोजना– पिपरा को चयनमुक्त किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपीलवाद इस न्यायालय में दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी को स्पष्टीकरण संबंधी कोई भी नोटिश निर्गत नहीं किया गया था। केन्द्र संख्या 12 की सेविका लघुता भारती द्वारा उन्हें सूचित किया गया जिसके उपरान्त अपीलार्थी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष दिनांक 27.11.12 को अपनी उपस्थिति को स्पष्ट किया एवं पेट में अचानक दर्द हो

जाने के कारण वे महिला पर्यवेक्षिका बन्दना कुमारी के केन्द्र पर निरीक्षण हेतु पहुँचने के समय उपस्थित नहीं थी यद्यपि अपनी अस्वस्थता के बारे में अपीलार्थी द्वारा सेविका लघुता भारती को सूचित कर दिया गया था। आगे यह भी कथन करते है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी भी उन्हें नही थी और उक्त आदेश अपीलार्थी के विपक्षियों के गलत मानसिकता से प्रेरित होकर पारित किया गया हैं।

दूसरी ओर विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा बहस के कम में सरकार के पक्ष में बहस करते हुए कथन करते हैं कि **महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि** सहायिका अनुपस्थित थी। ***अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सक प्रमाण पत्र में सर्दी, खाँसी एवं बुखार से पीड़ित बताया गया है जब कि अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में यह कथन किया गया है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र की निरीक्षण की तिथि को अपीलार्थी के अचानक पेट में दर्द रहने के कारण physically केन्द्र पर उपस्थित नहीं हो सकी*** । दोनों तथ्य विरोधाभाषी प्रतीत होते हैं। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात/साक्ष्य के सुक्ष्म परिशीलन के उपरांत न्यायालय इस निश्कर्ष पर पहुँची की ***अपीलार्थी अपनी अनुपस्थिति के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये है। केन्द्र से अनुपस्थित के लिए ससमय सक्षम पदाधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।*** अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत एवं न्यायोचित है इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

16/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

16/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा